फर्द अहकाम

(नियम 26)

[ब]ज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – जहाजपुर(भीलवाडा)

सरजू पत्नि मोहनलाल मीणा नि. कुराडिया

बनाम

लाला पिता रामनाथ मीणा नि. कुराडिया वगैराह

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 58 V/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
7-6-.23	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि **ग्राम खेराडिया माताजी का खेडा प. ह. कुराडिया तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1972/1, 1973/1, 1974/1 कुल किता 3 रकबा 0.6879 हैक्टेयर** स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि **ग्राम खेराडिया माताजी का खेडा प. ह. कुराडिया तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1972/1, 1973/1, 1974/1 कुल किता 3 रकबा 0.6879 हैक्टेयर** की उभय पक्षों की उपस्थिति मे पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500– रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 7-6-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। **उपखण्ड अधिकारी,** **जहाजपुर (भीलवाडा)**	

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक / रीडर / 2023 / 581 / 2023 दिनांक :– 07.06.2023

निमित

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. स. 581 / 23 अनवान सरजू पत्नि मोहनलाल मीणा नि कुराडिया बनाम लाला पिता रामनाथ मीणा, रामस्वरूप पिता रामनाथ मीणा, सोजी पिता हीरा मीणा, सोजी पिता छोटू मीणा, रामकुंवार पिता गंगाराम मीणा, श्रवण पिता भूरा मीणा, रामस्वरूप पिता बालूराम मीणा, हरचन्दा पिता कुरीलाल मीणा, केशरलाल पिता बदरीलाल मीणा, मुकेश पिता सोहन मीणा, सोमा पिता रामचन्द मीणा, हरलाल पिता देबी मीणा, सुखलाल पिता देबीलाल मीणा, कालू पिता हीरा मीणा, रोशन पिता रतनलाल मीणा नि. कुराडिया वगैराह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

———

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में **ग्राम खेराडिया माताजी का खेडा प. ह. कुराडिया तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1972/1, 1973/1, 1974/1 कुल किता 3 रकबा 0.6879 हैक्टेयर** भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रू. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)